न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या- 54/2014

वादी :-

1. मेघाराम पुत्र अमराराम जाति बावरी निवासी घाणामगरा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बाबुलाल पुत्र अमराराम
2. सोहनलाल
3. गोकलराम पिसरान अणदाराम जातियान बावरी निवासीगण घाणामगरा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।
5. राजूराम पुत्र मोहनलाल (कथित दतक पुत्र हरिराम) जाति बावरी निवासी घाणामगरा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थितिः-वादी - श्री डी डी रामावत अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 2 व 3 - श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 5- श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः- 20/01/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नं. 431/3 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 431/5 रकबा 10 बीघा 05 कुल खसरा 2 कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा जो खाता सं. 93 पर ग्राम घाणामगरा की वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। जिसे वाद के बकाया पर्दो में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सम्पूर्ण दस्त भूमि पूर्व में लिछमणराम धीराराम, धूलाराम पिसरान भालाराम के कब्जे काश्त की थी। वंशावली वादपत्र के पैरा सं. 2 के अनुसार वर्णित है। उपरोक्त वंशावली अनुसार पक्षकारान में पारिवारिक समझौता कर लिया तथा वादग्रस्त भूमि सहित अन्य सम्पूर्ण भूमि का मौके पर माफिक समझौता सम्बन्धित पक्षकारान ने आज से करीब 30 वर्षो पूर्व कब्जा प्राप्त कर लिया। कालान्तर में सम्बन्धित पक्षकार ने अपनी-अपनी जरूरत मुताबिक वादग्रस्त भूमि में से अपनी भूमि का बैचान कर दिया, जिससे वादग्रस्त भूमि जो पूर्व में श्री धूलारामजी के नाम दर्ज हो गई थी। जिनके मरणोपरान्त हरीराम तथा उनके मरणोपरान्त उनकी पत्नी ढगलाई के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर ली गई तथा ढगलाई का भी देहान्त हो चुका है। माफिक पारिवारिक समझौता स्व. ढगलाई के नाम दर्ज तमाम वादग्रस्त भूमि वादी की बंट एवं कब्जे काश्त की है। जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं रहा है तथा लगान की अदायगी महज वादी अकेला ही करता आया है। जबकि वादग्रस्त भूमि में दोषपूर्ण इन्द्राज की वजह से पूर्व में यह भूमि धूलारामजी के नाम दर्ज की गई तथा कालान्तर में हरीराम व मौजूदा समय में मृतका ढगलाई के नाम दर्ज कर ली गई। जबकि मौके पर विगत 30 वर्षो से इस भूमि पर वादी एकमात्र खातेदारी की हैसियत से काबिज है। वादी स्वयं को वादग्रस्त भूमि का विधि अनुसार व पारिवारिक समझौते मुजब खातेदार घोषित करने का विधिक रूप से अधिकारी है तथा वादग्रस्त भूमि पर वह अतिचारी की हैसियत से काबिज

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नहीं होकर खातेदार की हैसियत से काबिज है एवं लगान की अदायगी करता आया है। वादी बावरी जाति का सदस्य है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित है। वादग्रस्त भूमि में कानूनन वादी को खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो चुके है तथा वह हर स्थिति में वादग्रस्त भूमि को अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का विधिक रूप से अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में दोषपूर्ण इन्द्राज की आड़ में उत्तरोत्तर फोतेदगी म्यूटेशन के जरिये अलग-अलग नाम दर्ज कर लिये गये तथा वर्तमान में मृतका ढगलाई के नाम दर्ज है। जिसे उसके जीवनकाल में वादी ने कई मर्तबा वादग्रस्त भूमि को वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का कहा जिस पर उसने राजस्व अभियान में वादी का नाम वादग्रस्त भूमि में दर्ज करवाने का कह कर बादी को समय-समय पर आश्वस्त किया। चूंकि वादी एवं मृतका एक ही परिवार के व्यक्ति है एवं वादग्रस्त भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है इसी बिनाय पर वादी की ओर से आज पूर्व कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। इस दरम्यान मृतका का आकस्मात निधन हो गया है। ऐसी दशा में वादी के समक्ष मौजूदा वाद पेश करने के सिवाय अन्य कोई विकल्प शेष नही है। वादी अपनी भूमि पर सुधार कार्य करवाना चाहता है जिसके लिये वादग्रस्त भूमि उसके नाम खातेदारी में दर्ज करवाया जाना जरूरी है। इसी बिनाय पर राजस्व रेकर्ड की नकले हासिल की है एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर प्रार्थना वादी है कि सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का कृषि भूमि खसरा नं. 431/3 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 431/5 रकबा 10 बीघा 05 कुल खसरा 2 कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर वादी के कब्जे काश्त की भूमि में कब्जें में दखल नहीं करने हेतु प्रतिवादी सं. 1 व 3 को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा पाबन्द किया जावें तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अकन करने हेतु प्रतिवादी सं. 4 को आदेशित किया जावें, खर्चा हर्जा वाद प्रतिवादी सं. 1 व 3 से वादी को दिलाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बाबुलाल स्वयं उपस्थित हुए जिसके आदेशिका में हस्ताक्षर करवाये गये जिसकी पुष्टि आदेशिका दिनांक 17.10.2016 से की गई। प्रतिवादी सं. 5 के अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादी सं. 5 का जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा द्वारा जवाब मय वकालतनामा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं. 5 राजूराम का स्व. श्री हरिराम अथवा उनकी पत्नी ढगलाई के परिवार से कोई सरोकार नहीं है वह न तो उनका जायन्दा व न दतक पुत्र ही है न वादग्रस्त भूमि पर वह कभी काबिज ही रहा है। वादग्रस्त भूमि पर शुरू से ही वादी एकमात्र खातेदार की हैसियत से काबिज है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कतई कोई हक अधिकार नहीं है न हम प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 का इस भूमि कभी भी किसी भी रूप में कोई सरोकार ही रहा है इस भूमि से प्रतिवादीगण का कतई कोई संबंध नहीं है न ही इस संबंध में उनका कोई उजर ऐतराज ही रहा है। वादग्रस्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने की दशा में प्रतिवादीगण का कोई आपति नहीं है तथा इस पर वे सहमत है। वादग्रस्त भूमि में स्व. श्री हरिराम अथवा उसकी पत्नी का कतई कोई हक हिस्सा अथवा कब्जा नहीं रहा। इस संबंध में राजस्व रेकर्ड में उतरोतर किये गये सभी इन्द्राज तथा प्रतिवादी सं. 5 भी वादग्रस्त भूमि में अथवा उसके किसी भी हिस्से को आज तक किसी भी रूप में कभी भी काबिज नहीं रहा। वाद माफिक प्रार्थना वादी के पक्ष में डिक्री किये जाने पर प्रतिवादी सं. 2 व 3 को कोई आपति नहीं है।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः जवाब दावा पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वाद माफिक प्रार्थना वादी डिक्री किया जावें। प्रतिवादी सं. 4 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं रही। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे वादी की साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाडा जमाबंदी संवत् 2055-59 के खसरा नंबर 431 व खसरा नंबर 431/मिन पूर्व में खातेदार हरीराम पिसरान धूलाराम जाति बावरी के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। उसके पश्चात खातेदार हरीराम के फौत होने पर हरीराम की पत्नी ढगलाई बेवा हरीराम का नाम नामा.सं. 441 के जरिये राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। वादी द्वारा कथन किया कि ढगलाई बेवा हरिराम की फौत हो चुकी है किन्तु वादी द्वारा वादपत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया जिससे ढगलाई देवी हरिराम को फौत माना जावे। वादी द्वारा वादपत्र के पैरा सं. 3 में पारिवारिक समझौता का उल्लेख किया किन्तु वादी द्वारा वादपत्र के साथ किसी प्रकार का पारिवारिक समझौता पेश नहीं किया। वादी द्वारा ढगलाई पत्नी हरीराम को लाऔलाद फौत होना बताया जबकि प्रतिवादी सं. 5 के अधिवक्ता द्वारा गोदनामा पेश किया जिसके अनुसार खातेदार हरीराम पुत्र धूलाराम व ढगलाई पत्नी हरीराम जाति बावरी द्वारा राजूराम पुत्र मोहनराम जाति बावरी निवासी घाणामगरा को गोद लिया गया जिसको तहसीलदार बिलाडा द्वारा दिनांक 25.08.1992 को तस्दीक किया गया। प्रतिवादी सं. 5 के अधिवक्ता द्वारा राजूराम के दस्तावेजात पेश किये जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड। उक्त सभी दस्तावेजात में नाम राजूराम पुत्र हरिराम अंकित है। वादी द्वारा उक्त राजूराम पुत्र हरिराम के दस्तावेजात का किसी प्रकार खण्डन नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भलीभांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/01/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा सत्यमेव जयते

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी :- मेघाराम

बनाम

प्रतिवादीगण :- बाबूलाल वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 54/2014

दिनांक :- 20/01/24

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री डी डी रामावत अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 5 की ओर श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भलीभांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा